:: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी चिखली जिला डूंगरपूर राजस्थान ::
पीठासीन अधिकारी :– श्रीकान्त व्यास आर.ए.एस.
मूकदमा नम्बरः– 24/22 निर्णय दिनांकः– 17.06.2022

1. श्री रामा पिता अखमा जाति जोगी निवासी नई बस्ती दाद कोचरी तहसील चिखली जिला डूंगरपुर राजस्थान।

बनाम

1. श्री सवजी पिता पुंजा पारगी निवासी नई बस्ती दाद कोचरी तहसील चिखली।
2. श्री ईश्वर पिता सवजी पारगी निवसी नई बस्ती दाद कोचरी तहसील चिखली।
3. श्री शंकर पिता सवजी पारगी निवासी नई बस्ती दाद कोचरी तहसील चिखली।
4. श्री रमेश पिता सवजी पारगी निवासी नई बस्ती दाद कोचरी तहसील चिखली।
5. श्री कांति पिता सवजी पारगी निवासी नई बस्ती दाद कोचरी तहसील चिखली।
6. श्री मोहन पिता सवजी पारगी निवासी नई बस्ती दाद कोचरी तहसील चिखली।
7. श्रीमान तहसीलदार महोदयजी चिखली तहसील चिखली जिला डूंगरपुर।

<u>प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 111 राज. भू राजस्व अधिनियम</u>

उपस्थितः– श्री रमेशचन्द्र डामोर वकील प्रार्थी।

निर्णय

प्रार्थी के प्रार्थना पत्र का सारांश इस प्रकार है कि वादी व प्रतिवादीगण गांव नई बस्ती दाद तहसील चिखली के स्थायी निवासी है। वादी खातेवाडी कर अपना व अपने परिवार का जीवन यापन कर रहा है। यह कि वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा नई बस्ती दाद–कोचरी 1 में खाता संख्या 174, खसरा नम्बर 134 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 1.2944 है0 होकर काबिज होकर काश्त करते आ रहे है।

यह कि वाद कारण आज से एक माह पूर्व वादी अपने कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में फसल बुवाई को लेकर खेडाई का कार्य कर रहा था। उसी समय प्रतिवादीगण भूमि को अपनी बताकर सीमा विवाद करने लगे। जिस पर वादी ने कहा कि वाह वादग्रस्त आराजी पर राजस्व रिकॉर्ड के अनुसार काबिज होकर काश्त कर रहा है ऐसे में तुम्हे कोई झंगडा करने का हक अधिकार नहीं है। वादी ने राजस्व रिकार्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की काफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नही हुए।

तथा जबरन वादी वादग्रस्त आराजी को अपनी बता लेने तथा वादी की आराजी सीमा पर पूर्व में किये गये निशानदेही होने के बावजुद प्रतिवादीगण सीमा विवाद कर रहे है तथा वादी की खातेदारी आराजी को अपनी बता रहे है जिससे विवाद बढ रहा है ऐसे में वादी की खातेदारी आराजी की पत्थर गढी का सीतांकित किया जाना आवश्यक है। वादी वादग्रस्त आराजी में राजस्व रिकॉर्ड अनुसार कब्जा होकर काश्त करते आ रहे है। वादी ने राजस्व रिकॉर्ड की जमाबंदी व नक्शा दिखाकर समझाने की कॉफी कोशिश की लेकिन समझने को तैयार ही नहीं हुए वादी की आराजी में सीमा विवाद करने लगे। जिससे वाद प्रस्तुत कर पत्थर गढी करना आवश्यक हो गया जिससे मयाद अवधि में वाद प्रस्तुत है।

यह कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी होने से प्रतिवादीगण जबरन झंगडा फंसाद कर परेशान करते है। वादग्रस्त भूमि पर अतिक्रमण करने वादी से झंगडा फसाद व जान से मारने की धमकिया देते है। जबकि वादी का वादग्रस्त आराजी पर जन्म से अधिकार निहित है। जिससे लगातार विवाद बढने से वाद कारण लगातार उत्पन्न होने लगा।

यह कि वादी के कब्जे काश्त की आराजी में सीमा में पूर्व में की गई पत्थरों की निशानदेही को खुर्द बुर्द कर दिया। वादी को बेदखल करने की नियत से वादग्रस्त आराजी में घुस गये। जबकि वादी के कमाई का एकमात्र जरीया कृषि है ऐसे में वादग्रस्त आराजी से बेदखल करने पर वंचित हो जाएगा। तथा वादी का परिवार भूखा मर जाएगा। वादी को भारी आर्थिक क्षति होगी जिसकी कल्पना नहीं की जा सकती है।

यह कि प्रतिवादीगण को जरीये निषेधाज्ञा इस बात के लिए पावन्द किये जाने आवश्यक है कि वे वादी के कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी मौजा नई बस्ती दाद–कोचरी 1 में खाता संख्या 174, खसरा नम्बर 134 कुल खेत किता 1 कुल रकबा 1.2944 है0 होकर स्थित है। ऐसे में प्रतिवादीगण वादी की आराजी में किसी प्रकार का विवाद करने पर पावंद करे कि वादी को काश्त में रूकावट उत्पन्न नहीं करें।

प्रार्थना पत्र को दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण को तलब किया गया। दिनांक 13.05.2022 को अप्रार्थीगण संख्या 1से 6 की ओर से अधिवक्ता श्री कान्तिलाल डामोर ने वकालत नामा पेश किया जो शा. पत्रावली किया गया । पत्रावली वास्ते जवाब दिनांक 25.05.2022 नियत की गयी। दिनांक 25.05.2022 को

उपखण्ड अधिकारी
चिखली जि. डूंगरपुर

अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं आगामी पेश 01.06.2022 नियत की गयी। दिनांक 01.06.2022 को पत्रावली पेश हुई अप्रार्थीगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं। बार बार आवाज लगायी गई अप्रार्थीगण संख्या 1 से 6 के विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही की गयी। पत्रावली वास्ते जवाब तहसीलदार चिखली दिनांक 08.06.2022 को पेश हो। पत्रावली दिनांक 15.06.2022 को पेश हुई। तहसीलदार चिखली से रिपोर्ट प्राप्त। तहसीलदार चिखली से प्राप्त जवाब निम्नानुसार है– यह कि मौजा नई बस्ती दाद कोचरी में खाता संख्या 174 खसरा नम्बर 134 रकबा 1.2950 है0 खातेदार रामा पिता आखमा (वादी) के नाम दर्ज रेकार्ड है। इसी खसरा संख्या से अलग होकर नया खसरा 326/134 रकबा 0.3236 है0 खातेदार सवजी पिता पुंजा के नाम रिकार्ड दर्ज है। यह कि उक्त दोनो खसरे एक दूसरे से लगते हुये है। जहा पर विवाद बना हुआ है।

तहसीलदार चिखली से प्राप्त रिपोर्ट शामिल पत्रावली की गयी। प्रार्थना पत्र का अवलोकन किया गया। उपरोक्तानुसार विचारण से प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य पाया जाता है।

आदेश

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र धारा 111 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी के खातेदारी अधिकारों की काश्त भूमि खाता संख्या 174 खसरा नम्बर 134 किता 1 कुल रकबा 1.2944 हैक्टेयर मौजा नई बस्ती दाद कोचरी। तहसील चिखली की पैमाईश कर उसके अनुसार पत्थरगढी की जावें। पत्थरगढी कार्य हेतु नियमानुसार शुल्क प्रार्थी तहसील चिखली में जमा करावे शुल्क जमा होने पर तहसीलदार चिखली पत्थरगढी कार्य सम्पन्न करें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

निर्णय आज दिनांक 17.06.2022 को सरे ईजलास सुनाया गया।

(श्रीकान्त व्यास)
उपखण्ड अधिकारी
चिखली